20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

15

दिवाकर दीक्षित, अभि० आज दि० 5-9-16 को प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–होशंगाबाद निग–3037–PBR–16

शांतिबाई पुत्री श्री हीरालाल
निवासी– किशनपुर तहसील व जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

––आवेदिका

विरूद्ध

दिवाकर दीक्षित (अभि)

1– शंकरलाल पुत्र रामसिंह बंछोरिया निवासी – आनंद नगर होशंगाबाद
2– रामविलास पुत्र श्री घासीराम लोवंशी निवासी – साकेतनगर होशंगाबाद
3– रामेन्द्रकुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल यदुवंशी निवासी – सदर बाजार होशंगाबाद
4– राधाकिशन पुत्र श्री शालिगराम निवासी – नम्रदा बिहार कालौनी होशंगाबाद
5– नाहरसिंह पुत्र श्री सीताराम केवट निवासी – होमगार्ड ऑफिस के पास होशंगाबाद
6– मूलचंद पुत्र श्रीं हीरालाल बाथरे निवासी संजय नगर होशंगाबाद
7– शिवचरन रैकवार पुत्र श्री रामप्रसाद रैकवार निवासी सदर बाजार होशंगाबाद
8– मुन्नालाल पुत्र श्री सरजू प्रसाद रैकवार निवासी – सदर बाजार होशंगाबाद
9– अवनीश दुबे पुत्र श्री साहबप्रसाद दुबे निवासी –प्रताप नगर रसूलिया होशंगाबाद
10– सुशीला बाई जोजे गजराज सिंह लोवंशी निवासी – सदर बाजार होशंगाबाद
11– वसुबाई जोजे मस्तान सिंह लोवंशी निवासी – रसूलिया होशंगाबाद
12– विजय सिंह मेहर पुत्र श्री बसोडीलाल मेहर निवासी – सदर बाजार होशंगाबाद
13– बद्रीप्रसाद पटेल पुत्र श्री देवी सिंह पटेल निवासी – जाति किरार सदर बाजार होशंगाबाद
14– श्रीमती लींला चौरे जौजे रामप्रसाद चौरे निवासी – ग्वालटोली होशंगाबाद
15– रामबाई पत्नी लखनलाल गोहे निवासी – आनंद नगर होशंगाबाद
16– शारदा बाई पत्नी श्यामलाल मेहरा निवासी – सिवनीमालवा होशंगाबाद

17– रेवती उर्फ लक्ष्मण पुत्र श्री नर्मदाप्रसाद जाटव निवासी – होशंगाबाद

18– विमल प्रसाद पुत्र श्री दलीराम विश्वकर्मा निवासी – हाउसिंह बोर्ड कालौनी होशंगाबाद

19– कैलाश प्रसाद पुत्र श्री घासीराम मेहरा निवासी – आदर्श नगर कालौनी होशंगाबाद

20– रामप्रसाद पुत्र श्री मिठठूलाल मांगरोल

21– तुलसीराम पुत्र श्री मिठठूलाल मांगरोल निवासीगण – आनंद नगर होशंगाबाद

22– सोमनाथ सिंह गौर पुत्र श्री त्रिलोक नाथ सिंह गौर निवासी – राजा मोहल्ला होशंगाबाद

23– श्रीमती शारदा बाई पत्नी तुलसीराम

24– श्रीमती सरजूबाई पत्नी श्यामलाल राजौरिया निवासीगण – प्रताप नगर रसूलिया होशंगाबाद

25– लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री धनीराम मोर्य निवासी – आदमगढ़ होशंगाबाद

26– द्वारका प्रसाद मेहरा पुत्र श्री मुंशीलाल मेहरा निवासी – तवा कालौनी होशंगाबाद

—— अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 80 /2014–15 पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा नं. 65/1 रकवा 0.83 एकड़ राजस्व अभिलेखों में उसके नाम से इन्द्राज है इसी भूमि से लगी हुयी भूमि खसरा नं. 65/2 रकवा 0.664 है0 आवेदिका के भाई हुकमा एवं छोटेलाल की है। जिसके वे भूमि स्वामी है, उपरोक्त भूमि का आवेदिका व उनके भाईयों द्वारा कोई सीमांकन नहीं कराया गया क्योंकि उनके मध्य कोई विवाद ही नहीं था किन्तु अनावेदक क्रमांक 2 से लगायत 24 तक के द्वारा आवेदिका के विरूद्ध गलत व विधि विरूद्ध तरीके संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि हुकमा व छोटेलाल आवश्यक पक्षकार है उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। जबकि राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है तथा अनावेदक क्रमांक 2 से 24 के द्वारा भूमि स्वामी न होने के बाद भी उपरोक्त वर्णित कार्यवाही की जा रही है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3037-पीबीआर/2016 जिला होशंगाबाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 30-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	